

झारखण्ड सरकार  
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,  
( श्रमायुक्त का कार्यालय, FaxNo-0651-2481013, E-Mail-labcomjhr@gmail.com)

आदेश

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली 1972, के नियम -25 के उपनियम (2) के खण्ड (V) के उप खण्ड (b) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमायुक्त, झारखण्ड द्वारा ठेका श्रमिकों के सेवा शर्तों एवं मजदूरी की दरों का निर्धारण किया गया है। पुनः विभागीय आदेश ज्ञापांक 1551 दिनांक 26.08.15 द्वारा ठेका श्रमिकों के मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। इस कोटि के कामगारों को उक्त नियम से संबंधित अनुलग्नक के प्रावधान- 13 (iii) के आलोक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2019 की तिथि से अधिसूचित परिवर्तनशील महँगाई भता की दरें देय होंगी।

अतः दिनांक 01.10.2019 की तिथि से उपर्युक्त नियम से आच्छादित ठेका श्रमिकों की मजदूरी की दरें नियमानुसार होंगी :-

श्रमिकों की कोटि	दिनांक 26-08-2015 से देय मजदूरी प्रतिमाह	दिनांक 01.10.2019 से देय परिवर्तनशील महँगाई भता	कुल
अकुशल	6550.00	1475.06	8025.06
अर्द्ध कुशल	6860.00	1544.87	8404.87
कुशल	9120.00	2053.82	11173.82
अति कुशल	10450.00	2353.34	12803.34

(राजीव अरुण एक्का)  
प्रधान सचिव-सह-श्रमायुक्त